सम्बद्धता आदेश संख्या–सी.एस.जे.एम.वि.वि./कुसका./सम्ब./154/2021, दिनांक 24.08.2021 द्वारा कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन)अधिनियम, 2014) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा (21.08.2021) एवं कार्यपरिषद की अनुमति की प्रत्याशा मे **श्रीमती उर्मिला देवी महाविद्यालय, मरथना, इटावा** को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2021–22 से निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. **शैक्षिक सत्र 2021–22 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2021–22 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2020–21 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2021–22 से अदेश निर्गत किये जायेगें**
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तो का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से अवगत कराते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तथा भूमि व भवन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्रों में उठाये गये बिन्दुओं का पुष्टिकरण भविष्य में होता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानो के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशो का पालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय समय–समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
7. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
8. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
9. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/3414 /2021 दिनांक–22/12/2021

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्धक, **श्रीमती उर्मिला देवी महाविद्यालय, मरथना, इटावा** को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित विषयों का सत्र 2020–21 का परीक्षाफल घोषित हो गया है जो 60 प्रतिशत से अधिक रहा है। अतः महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों के अन्तर्गत बी0एससी0 पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2021 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान की जाती है।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. परीक्षा नियंत्रक, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।
5. सम्बन्धित को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त पत्र महाविद्यालय के कालेज लॉग–इन में अपलोड कराने कष्ट करें।
6. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेन्टर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

डॉ0(अनिल कुमार यादव)
कुल सचिव

प्रेषक,   संख्या– 552/15–11–2018

कामता प्रसाद सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–11   लखनऊ, दिनांक 30 मई, 2018

विषय– निजी संस्थान श्रीमती उर्मिला देवी महाविद्यालय प्लाट नं0– 1493ख, 1493ग, 1502क, ग्राम –आदर्श बिहार भोली चौराहा, पोस्ट–भरथना, तहसील– भरथना जिला – इटावा को डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निजी संस्थान श्रीमती उर्मिला देवी महाविद्यालय प्लाट नं0– 1493ख, 1493ग, 1502क, ग्राम –आदर्श बिहार भोली चौराहा, पोस्ट–भरथना, तहसील– भरथना जिला – इटावा को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2018–19 से दो यूनिट (100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

(1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
(2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिर्वतन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
(3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
(5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधियत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
(6) संस्थान द्वारा अपनी बेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब–साइट पर किया जायेगा।
(7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 20.04.2018 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2018–19 से दो यूनिट (100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,
(कामता प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

संख्या– (1)/15–11–2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन–110002
2– क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि–II एल0आई0सी0 बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पिन–302005।
3– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इटावा।
5– सचिव/प्रबन्धक, श्रीमती उर्मिला देवी महाविद्यालय प्लाट नं0– 1493ख, 1493ग, 1502क, ग्राम –आदर्श बिहार भोली चौराहा, पोस्ट–भरथना, तहसील– भरथना जिला – इटावा ।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(कामता प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

पृ0सं0: निजी बी0टी0सी0/ 3653-60 /2018–19   दिनांक 15-6-2018

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग–11, लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. शिक्षा निदेशक बेसिक, उ0प्र0, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी0–7 सेक्टर–10 द्वारिका,नई दिल्ली–75।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इटावा।
8. सचिव/प्रबन्धक, श्रीमती उर्मिला देवी महाविद्यालय, प्लाट नं0–1493ख,1493ग,1502क, ग्राम–आर्दश बिहार भोली चौराहा, पो0–भरथना, तह0–भरथना, जिला–इटावा ।
9. गार्ड फाईल।

डा0(श्रीमती) सुत्ता सिंह
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद। 14-06-18

Scanned with OKEN Scanner

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART III, SECTION 4

F.No. NRC/NCTE/NRCAPP-14376/282nd (Part-2-1 & 3) Meeting/2018/ 189954 **Dated:** 13 MAR 2018

RECOGNITION ORDER

WHEREAS in terms of Section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institution had submitted application online on **03.06.2015** to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for Teacher Education Course.

2. AND, WHEREAS on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution in compliance to the decision of clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014, as amended from time to time the Northern Regional Committee having satisfied itself that the institution fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and the extant Regulations including the Norms and Standards for the proposed Teacher Education course, such as, instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the course and has selected/appointed qualified teaching staff as per norms duly approved by the affiliating body, decided to grant recognition/ permission to the institution in its **282nd Meeting held from 28th February to 01st March & 03rd March, 2018 (Part-2-1st & 3rd March, 2018)** for **D.El.Ed.** course.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a)/15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition/permission to the following institution for conducting Teacher Education programme with an annual intake mentioned against its name from the academic session **2018-2019** under clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014, as amended from time to time, subject to fulfilment of the conditions mentioned below: -

Sl. No.	File No.	Name and address of the Institution	Course	Duration	Approved annual intake	Name of the Affiliating Body
1.	NRCAPP-14376	Shrimati Urmila Devi Mahavidhalay, Plot Number- 1493, 21, Street/Road- 0, Village/Town/City- Adarsh Vihar Bholi Chauraha, Post Office- Bharthana, Tehsil/Taluka- Bharthana, Town/City- Bharthana, State- UP, District- Etawah(UP), Pin Code- 206242	D.El.Ed.	2 Years	Two Units (100)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh

4. The other important details of the institution are as under:-

Name of the Sponsoring Society	Shrimati Urmila Devi Memorial Siksha Prsar Samiti, Plot Number- 21, Street/Road- Usrahar Road, Villge/Town/City- Adarsh Vihar Bholi Chauraha, Post Office- Bharthana, Tehsil/Taluka- Bharthana, Town/City- Bharthana, State- UP, District- Etawah(UP), Pin Code- 206242
Name and address of the composite institution	Shrimati Urmila Devi Mahavidhalay, Adarsh Vihar, Bholi Chauraha, Bharthana, Etawah, Uttar Pradesh
Course being run as a composite institution	BA & B.Sc.
Phone Number / E-mail address of the institution	05680227310 / satyendrakumar.111@gmail.com

5. **The institution shall adhere to the fulfillment of the provisions of the NCTE Regulations, 2014, as amended from time to time, and ensure the following before commencement of the session: -**

Scanned with OKEN Scanner

(i) The institution shall comply with various other norms and standards prescribed in the NCTE Regulations, as amended from time to time.
(ii) The institution shall make admissions only after it obtains affiliation from the examining body in terms of Clause 8(10) of the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014.
(iii) The institution shall comply with condition laid down in clause 8(3) of the NCTE Regulations, 2014, as amended vide Notification on 29.04.2017 which provides as under:-

- *An institution, which has been recognised by the Council shall obtain accreditation from an accrediting agency indentified by the Council within five years of the date of recognition.*
- *All existing Teacher Education Institutions which have not been accredited so far or have not been accredited within five years from the date of its recognition shall be required to get themselves accredited by the aforesaid accrediting agency within a period of one year from the date of notification of these Regulations.*
- *The accreditation once obtained shall be valid for a period of five years and the recognised and already accredited Teacher Education Institutions shall be required to get accreditation renewed by the agency identified for the purpose by the Council before the lapse of the earlier accreditation.*

(iv) The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.
(v) The Norms for teaching staff in respect of their qualifications and experience shall be as per provisions of NCTE Regulations, 2014, as amended from time to time.

6. **Further, the recognition is subject to fulfilment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable, and compliance of the following by the affiliating body, State Govt and also the concerned recognised Institution: -**

(i) The affiliating body/State Govt. shall be required to verify the authenticity of the land & building documents submitted by the institution, with the required land & built up area as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 before grant of affiliation to the institution.
(ii) The affiliating body shall ensure that the institution is a composite institution as per definition of a "composite institution" given in the NCTE Regulation, 2014. If at any stage, it is found that the institution is not a composite institution, the recognition granted shall be treated as withdrawn and the sole responsibility of the same will be of the institution. However, the existing stand-alone institutions shall gradually move towards becoming composite institutions.
(iii) The NOC of the affiliating body and staff approval thereof submitted by the institution, if found fake, at any stage, the recognitions granted shall be treated as withdrawn, and the sole responsibility of the same will be of the institution.

7. The institution shall submit a Self-Appraisal Report to the Regional Committee at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

8. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display as mandatory disclosure the following: -

(i) Copy of Application Form
(ii) Land and Building Particulars
(iii) Staff Profile
(iv) Recognition Order
(v) Information regarding fulfillment of norms & standards and other conditions for the course.

9. In case, if the land is in the name of the Society/Trust, the land is to be transferred within six months from the date of recognition order in the name of the institution, failing which action shall be initiated for withdrawal of recognition. It shall be essential on the part of the institution concerned to get the needful done in this regard and intimate about the same to the Regional Committee along with new land documents within the stipulated time.

Scanned with OKEN Scanner

The Educational Institution shall follow Uniform Accounting System as brought out by ICAI and accepted by the MHRD.

11. The Institution shall fill the GIS Application within one month from the date of issue of this order.

12. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules and Regulations, the Regional Committee shall withdraw recognition under provisions of Section 17(1) of the NCTE Act, 1993.

13. Further, if the institution is not satisfied with the Order, it may prefer an Appeal under Section 18 of the NCTE Act, 1993 through "online mode" available on NCTE's website www.ncte-india.org within 60 days from the date of issue of this order. The guidelines for filing appeal may be seen on NCTE's website.

By Order,

(Satish Gupta)
Regional Director (I/C)

The Manager
Govt. of India Press
Department of Publications (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi – 110 054

Copy to:

1.	**The Principal, Shrimati Urmila Devi Mahavidhalay, Plot Number- 1493, 21, Street/Road- 0, Village/Town/City- Adarsh Vihar Shafi Chaurahe, Post Office- Bharthana, Tehsil/Taluka- Bharthana, Town/City- Bharthana, District- Etawah(UP), State- UP, Pin Code- 206242.**	
2.	**The Manager/Secretary, Shrimati Urmila Devi Memorial Shiksha Prasar Samiti, Plot Number- 21, Street/Road- Ueraiar Road, Village/Town/City- Adarsh Vihar Shafi Chaurahe, Post Office- Bharthana, Tehsil/Taluka- Bharthana, Town/City- Bharthana, District- Etawah(UP), State- UP, Pin Code- 206242 .**	
3.	**The Principal Secretary, (Basic Education), Government of Uttar Pradesh, IInd Floor, Room No. 15, Sachiv Bhawan, Secretariat, Lucknow-226001, Uttar Pradesh**	**With a request to ensure compliance of the terms & conditions as laid down above by the institution.**
4.	**The Director, State Council of Educational Research & Training (SCERT), UP State Government, JBTC Campus, Nishatganj, Lucknow-226007, Uttar Pradesh**	**1. With a request to ensure veracity of the NOC & approval of the staff issued to the institution and also to ensure that the admissions are made by the institution as per size of the unit and intake mentioned in the recognition /permission order and compliance of other terms and conditions as laid down above.**

Scanned with OKEN Scanner

		2. With request to affiliate the institution only after the institution has updated GIS Information on NCTE Website. 3. With a request to regulate the B.A./B.Sc. component in case the recognition has been given for BA B.Ed./B.Sc. B.Ed. (4 year integrated) course.
5.	The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001.	
6.	The US (EDP), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, I, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002.	
7.	Computer Section, NRC, for uploading on website.	
8.	Institution file	
9.	Guard file.	

Regional Director (I/C)

Scanned with OKEN Scanner